

को समाप्त तिमाही के लिए एजेंसी कमीशन का दावा

भाग I – बैंक का ब्यौरा**बैंक का नाम**

दावा प्रस्तुत करने वाले कार्यालय का पता :

जिसके लिए मान्यता प्राप्त (सरकारी

विभाग का नाम) है

की गई गतिविधियाँ :

भाग II – दावों के विवरण

विवरण	लेनदेनों की संख्या		राशि ₹ में	
	भौतिक	इलेक्ट्रानिक	भौतिक	इलेक्ट्रानिक
1. सकल प्राप्तियाँ				
2. घटाएं				
(ए) बैंक की स्वयं की कर देयताओं से संबंधित प्राप्तियाँ **				
(बी) आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मदों पर टीडीएस				
(सी) केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं /विशेष योजनाएं, यदि कोई हो, सहित संबंधित लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत लेनदेन।				
(डी) एरर स्क्रोल - लेनदेन				
(ई) अन्य अपात्र मदें (जैसे राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से लिए गए दीर्घावधि उधारों की चुकौती संबंधी प्राप्तियाँ, मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन से संबंधित साखपत्र संबंधी प्राप्तियाँ, पेंशन की प्राप्तियाँ)				
(मदवार विवरण प्रस्तुत किए जाएं)				
I. ए निवल प्राप्तियाँ				
II. पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान				
घटाएं				
(ए) केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं /विशेष योजनाएं, यदि कोई हो, सहित संबंधित लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत लेनदेन।				
(बी) एरर स्क्रोल – लेनदेन				
(सी) अन्य अपात्र मदें (जैसे साखपत्र संबंधी लेनदेन के अंतर्गत भुगतान)				
(मदवार विवरण प्रस्तुत किए जाएं)				

II. ए पेंशन को छोड़कर निवल भुगतान				
III. कुल पेंशन भुगतान				
घटाएं				
(ए) केंद्रीय / राज्य सरकार कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोगों के पेंशन संबंधी भुगतान				
(बी) एरर स्क्रॉल - लेनदेन				
III. ए निवल पेंशन भुगतान				
IV. कुल (I ए+II ए+III ए)				
V. (i) तिमाही के प्रारंभ में पेंशन खातों की संख्या				
(ii) तिमाही के अंत में पेंशन खातों की संख्या				

** एजेंसी बैंक जब अपनी खुद की कर देयता का भुगतान, उस स्थान पर जहाँ उनकी स्वयं की प्राधिकृत प्रत्यक्ष कर संग्रहण शाखा नहीं है, अपनी स्वयं की शाखाओं या भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखा या भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय के माध्यम से करते हैं तो इसे स्क्रॉल में अलग से दर्शाया जाए और ऐसे लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे।

एजेंसी कमीशन की दावा की गई राशि : ₹.

भौतिक रूप में प्राप्तियाँ ₹40/- प्रति लेनदेन की दर अर्थात्X..... = पर

ई-प्राप्तियाँ ₹9/- प्रति लेनदेन की दर पर अर्थात्X..... =

पेंशन भुगतान ₹75/- प्रति लेनदेन की दर पर अर्थात्X..... =

पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान प्रति ₹100 के आवर्त अर्थात्X..... (टर्नओवर) पर 6.5 पैसे की दर पर =

कुल दावा =

(₹.....)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम :